



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230788
CG-DL-E-28102021-230788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4125]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943

No. 4125]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4483(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् मऊ—तारीघाट नई रेलवे लाईन परियोजना 51 किमी० गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सड़क सहित रेलवे पुल के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और कोई जाँच, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ(3) के अनुसार धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

सारणी

मऊ-तारीघाट नई रेलवे लाईन परियोजना 51 किमी०, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सड़क सहित रेलवे पुल की विशेष परियोजना हेतु, परिसम्पत्ति सहित अथवा परिसम्पत्ति रहित, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला-गाजीपुर,

राज्य-उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० मे)	भूमि की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गाजीपुर	गाजीपुर	चकफैज	78	0.0260	कृषि भूमि
2	गाजीपुर	गाजीपुर	अराजीबाग चकरजा	70	0.0436	कृषि भूमि/गंगा सेतू पहुँच मार्ग
3	गाजीपुर	गाजीपुर	रामपुर उर्फ झिंगुरपट्टी शहरी	112	0.0158	कृषि भूमि
4	जमानियां	जमानियां	सोनवल	275	0.0050	कृषि भूमि
				योग	0.0904	

[फा. सं. डब्ल्यू / कान / 98 / 344 / डब्ल्यू - 1]

आर. के. यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS (Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2021

S.O. 4483(E).— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989)(Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Mau-Tarighat new railway line project 51 km. including rail-cum-road bridge at Ghazipur in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Additional District Magistrate (F&R), Ghazipur**, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the **District Ghazipur** for the Special Railway Project namely, Mau-Tarighat new railway line project 51 km. including rail-cum-road Bridge at Ghazipur, in the State of Uttar Pradesh.

Name of District- Ghazipur**Name of State-UttarPradesh**

Sr. No.	Tehsil	Pargana	Name of the Village	Plot No.	Area Propose for land Acquisition (in hect.)	Nature of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Ghazipur	Ghazipur	Chak Faiz	78	0.0260	Agricultural
(2)	Ghazipur	Ghazipur	Aarajibagh Chakraja	70	0.0436	Agricultural / Approach Road Ganga bridge
(3)	Ghazipur	Ghazipur	Rampur urf Jhingurpatti Urban	112	0.0158	Agricultural
(4)	Zamania	Zamania	Sonwal	275	0.0050	Agricultural
				Total	0.0904	

[F. No. W/Con/98/344/W-1]

R.K.YADAV, Chief Admn. Officer /Con.